

कामगार राज्य विमा महामंडळ (कामगार आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Boyt. of India)



श्लेत्रिय कार्यालय/स्नेत्रीय कार्यालय/Regional OfficeMaharashtra पंचदीप भवन, 108, एन. एम. जोशी मार्ग, लोजर परळ, मुंबई-400 013 पंचदीप भवन, 108, एन. एम. जोशी मार्ग, लोजर परेल, मुंबई-400 013 Panchdeep Bhavan, 108, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013 Phone: 022 61209700/742 Email: rdmaharashtra@esic.nic.in, Website: www.esic.nic.in

No.: 31-A-21/15/TP/Estt.II/22(Part-II)

Date: 02/09/2024

2024 का कार्यालय आदेश संख्या : 205 /OFFICE ORDER NO. 205 (A) OF 2024

अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक, महाराष्ट्र ने तत्काल प्रभाव से प्रवर श्रेणी लिपिक-खजांची के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को स्थानांतरित/तैनात करने का आदेश दिया है:

The Additional Commissioner & Regional Director, Maharashtra has ordered transfer/posting of following UDCs to function as a UDC-Cashier with immediate effect:

Sr.	Name & Designation of the	Present place of posting	Ordered Place of
No.	officials (Shri/Smt./Kum.)		Posting
1	Sandip Bhattacharjee, UDC	Lash Branch/ DDD	UDC-Cashier, B.O. Ghatkopar

(2) श्री सिद्धार्थ सिन्हा, प्रवर श्रेणी लिपिक, मेडिकल हितलाभ शाखा, जिन्हें कार्यालय आदेश संख्या 184(ए) 2024 दिनांक 13.08.2024 के अनुसार डीसीबीओ कोलाबा में प्रवर श्रेणी लिपिक - खजांजी के रूप में स्थानांतरित किया गया है, उन्हें अब अगले आदेश तक शाखा कार्यालय वर्ली में प्रवर श्रेणी लिपिक - खजांजी के रूप में स्थानांतरित किया जाएगा।

Shri. Siddharth Sinha, UDC, Medical Benefit Branch, who, vide Office Order No. 184(A) of 2024 dated 13.08.2024, is under transfer to DCBO Colaba as UDC- Cashier shall now be transferred to B.O. Worli as UDC- Cashier, till further order.

(3) श्री प्रशांत विरकर, प्रवर श्रेणी लिपिक, मेडिकल हितलाभ शाखा, जो कार्यालय आदेश संख्या 184(ए) 2024 दिनांक 13.08.2024 के अनुसार प्रवर श्रेणी लिपिक - खजांजी के रूप में शाखा कार्यालय घाटकोपर में स्थानांतरित हैं, अब अगले आदेश तक डीसीबीओ कोलाबा में प्रवर श्रेणी लिपिक - खजांजी के रूप में स्थानांतरित होंगे।

Shri. Prashant Virkar, UDC, Medical Benefit Branch, who, vide Office Order No. 184(A) of 2024 dated 13.08.2024, is under transfer to BO Ghatkopar as UDC- Cashier shall now be transferred to DCBO Colaba as UDC- Cashier, till further order.

(4) श्री किशोर मोरे, प्रवर श्रेणी लिपिक, वित्त एवं खाता शाखा IV, जिन्हें कार्यालय आदेश क्रमांक 184(ए) 2024 दिनांक 13.08.2024 के तहत प्रवर श्रेणी लिपिक - खजांजी के रूप में शाखा कार्यालय वर्ली में स्थानांतरित किया जा रहा है, को अगले आदेश तक वित्त एवं खाता शाखा IV में प्रवर श्रेणी लिपिक के रूप में बनाए रखा जाता है। Shri. Kishor More, UDC, Fin. & A/c. Br. IV, who, vide Office Order No. 184(A) of 2024 dated 13.08.2024, is under transfer to B.O. Worli as UDC- Cashier is retained as UDC at Fin. & A/c. Br. IV, till further order.

(5) प्रवर श्रेणी लिपिक -खजांची के रूप में नियुक्ति होने पर, क्रम संख्या 1 से 3 तक के अधिकारी सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग ए के वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 4 में विद्यमान वेतन प्राप्त करना जारी रखेंगे और इसके अतिरिक्त, यूडीसी-कैशियर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से या सुरक्षा के स्वीकृत रूपों में से किसी एक के माध्यम से जोखिम को कवर करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, नियमों के तहत स्वीकार्य नकदी हैंडलिंग भत्ते प्राप्त करेंगे।

On posting as UDC Cashier, the officials at Sr.No. 1 to 3, will continue to draw existing pay in Level -4 of Pay Matrix of Part A of the Schedule of the CCS (RP), Rules, 2016 and in addition, cash handling allowances as admissible under the rules w.e.f. date of joining as UDC-Cashier or from the date the risk is covered, through one of the accepted forms of security, whichever is later.

(6) आवश्यक कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट ईमेल estt2-mh@esic.nic.in.पर एक प्रति केसाथ सभी संबंधितों को भेजा जाए |

Necessary relieving & joining report may be forwarded to all concerned along with a copy to estt2-mh@esic.nic.in.

(दिनेश सोनकुसरे / Dinesh Sonkusare) उप. निदेशक(प्रशासन) / Dy. Director (Admn.)

Copy to:

- 1. संबंधित कर्मचारी / Person concerned.
- 2. संबंधित शाखाए/ शाखा कार्यालय, क्षेत्रिय कार्यालय मुंबई /Concerned Branches / Branch offices of Regional Office Mumbai.
- 3. अप्पर आयुक्त के वैयक्तिक सचिव / P.S. to A.C.
- 4. निदेशक, विभागीय जाँच (प. अं)/ उप निदेशक, सतर्कता (प. अं)/ उप निदेशक, प्रक्षिक्षण (प. अं) / (The Director, Dept. Enquiry (WZ)/Dy. Director, Vigilance (WZ).
- 5. महासचिव क. रा. बी. निगम कर्मचारी संघ /General Secretary, ESIC Employees' Union, Mumbai.
- 6. महासचिव क. रा. बी. निगम एस. सी. / एस. टी./ ओ. बी. सी. कर्मचारी एवं अधिकारी वेलफेयर एसोसिएशन, मुंबई / Secretary, ESIC SC/ST/OBC Employees' & Officers' Welfare Association, Mumbai.
- 7. कार्यालय आदेश फाइल/ वैयक्तिक फाइल O.O. File/ Personal file.
- 8. सचिव, क. रा. बी. निगम कर्मचारी सहकारी संस्था मुंबई / Secretary, ESIC Employees' Co-op. Credit Society, Mumbai
- 9. ICT शाखा, क्षेत्रिय कार्यालय मुंबई, esic वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / ICT Branch, RO Mumbai, to upload on ESIC website.

31-A-21/15/TP/Estt.II/22(Part-II)